डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web: www.dfccil.gov.in

No. HQ/PIO/RTI/238/15 **Date: 28.07.2015**

श्री फरीद उददीन सिद्दीकी,
पुत्र श्री कुतुब उद्दीन सिद्दीकी,
64/7 ए पूराफतेह मौहम्मद नैनी,
इलाहाबाद।

ED 85949309 0 IN

Sub: Information under RTI Act- 2005.
Ref.: Your application dt. 16.06.2015, received in this office on 23.06.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:–

क्रसं.	मांगी गई सूचना	उपलब्ध सूचना
1.	मौजा भंडरा उमरगंज का भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्लान एवं जिस नक्शा के द्वारा भूमि अधिग्रहण किया है उसकी छायाप्रति उपलब्ध करायें	ग्राम– मण्डारा उमगंज में डी.एफ.सी.सी.आई.एल. की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्लान के नक्शे की प्रमाणित छायाप्रति (कुल 4 पेज) 2 रू. प्रति कापी की दर से जमा करके मुख्य परियोजना प्रबंधक, कार्यालय इलाहाबाद से किसी भी कार्य दिवस में, प्राप्त किया जा सकता है।
2.	मौजा भंडरा उमरगंज का कब–कब अधिसचना (20ई) जारी किया गया। अधिसूचना (20ई) की छायाप्रति उलब्ध कराई जाये।	ग्राम– मण्डारा उमगंज में 20ई की अधिसूचना दिनांक 05.02.2010, 14.12.2011, 06.09.2013 तथा 15.04.2014 को किया गया। 20ई की प्रमाणित छायाप्रति (कुल 20 पेज) 2रू. प्रति कापी की दर से जमा करके मुख्य परियोजना प्रबंधक, कार्यालय इलाहाबाद से किसी भी कार्य दिवस में, प्राप्त किया जा सकता है।
3.	रेलवे लाईन से कितनी दूरी पर नया निर्माण किया जा सकता है। सूचना उलब्ध करायें।	सेक्शन 2(जे) के अंतर्गत सूचना केवल उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जाती है आपने सलाह मांगी है जो सूचना अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है।
4.	माल भाडा परियोजना के तहत प्रभावित परिवारों को नौकरी का प्रावधान है या नहीं, सूचना उपलब्ध करायें।	कई राज्यों में फैले डीएफसी प्रोजेक्ट के आकार और पैमाने को ध्यान में रखते हुए आपको सूचित किया जाता है कि DFCCIL के लिए भूमि अधिग्रहण के एवज में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर निहितार्थ और जटिलताएं हैं जो एक मुददा है और जिसपर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5.	नई भू अर्जन अधिनियम सं. 30 सन 2013 जो जनवरी 2014 से लागू है के अनुसूची 4 में रेलवे अधिनियम संशोधित 2008 निहित है। आप द्वारा किस तिथि से पालन किया जा रहा है?	इस संबंध में अवगत कराना है कि भूमि अर्जन, पूर्नवास और पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान डेडीकेटेड फेट कोरिडोर के परियोजना के लिये अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 01.01.2015 से लागू है। अतः 01.01.2015 से पहले घोषित हुये एवार्ड में मुआवजा रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार देय है।

ED 85949308 6 IN

(S.K. Panda)
DGM/PIO

Copy to:- CPM/Allahabad (East)